

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क०/बोर्ड कार्मिक/क/276 पार्ट/2961

// संशोधित आदेश //

भोपाल, दिनांक 26/9/15

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड के जारी आदेश क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/क/276 पार्ट/2642 भोपाल, दिनांक 17-8-15 से उपयंत्रियों के वेतन, भत्तों आदि के भुगतान हेतु कार्यपालन यंत्री, तकनीकी कार्यालयों के बजट में प्रावधान किया जाकर उपयंत्रियों के लिए निर्धारित मुख्यालय मण्डी समिति स्तर से वेतन/भत्तों का भुगतान किया जावेगा, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग के अंतर्गत पदस्थ सभी उपयंत्रियों के वेतन/भत्तों आदि का भुगतान, कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभागों द्वारा उनके बजट में प्रावधानित अनुसार संबंधित सहायक यंत्री से उपस्थिति सत्यापन के आधार पर किया जावेगा।

(कार्यवाही प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (कार्मिक)

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

भोपाल, दिनांक 26/9/15

क०/बोर्ड कार्मिक/क/276 पार्ट/2962

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
2. अपर संचालक (समस्त) म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/उपसंचालक(समस्त) मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.....
5. कार्यपालन यंत्री, (समस्त) तकनीकी संभागद्वारा तकनीकी संभागों के अमले के अनुसार ही उपयंत्रियों के वेतन/भत्तों के भुगतान हेतु बजट में प्रावधान सुनिश्चित किया जावे।
6. लेखाधिकारी(लेखा/आडिट/पेंशन) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
7. अध्यक्ष/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति.....जिला.....(म०प्र०)
8. सहायक यंत्री, तकनीकी संभाग..... के उपसंभाग क०.....को निर्देशित किया जाता है कि उपसंभाग के अधीनस्थ उपयंत्रियों की उपस्थिति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 25 तारीख तक कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
9. श्री.....उपयंत्री, तकनीकी संभाग/मण्डी समिति.....
10. आदेश नस्ती/निर्माण शाखा/व्यक्तिगत/गो.च./कम्प्यूटर शाखा।

अपर संचालक (कार्मिक)

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल